9/3/18

वकुफकी० उपस्थित। पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई।
बहस अन्तिम सुनी गई। मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन
किया गया। बाद अवलोकन वादीगण, स्वयं को खातेदार
घोषित करवाने एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा
प्राप्त करने के अधिकारी नहीं पाये जाते है। अतः वादीगण
का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया
जाता है। विस्तृत निर्णय डिक्री पृथक से टाईप करवाकर
न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से शामिल मिसल किया
गया। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो
बाद दफ्तर दाखिल हो।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर
मसूदा (अजमेर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.03.03 17:22:19 IST
Reason: SelfAttested